



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी मदन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 02 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में अभियुक्त मदन पुत्र मलखान निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा घर में घुसकर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 352/2015 धारा 316/323/452/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मदन को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री अमित
खोखर
एडीजीसी
जनपद
बागपत



है0का0
रविन्द्र
कुमार
कोर्ट
पैरोकार

विवेचक-उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 26.08.2025

बागपत पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-तनवीर उर्फ तन्ना पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मोहित उर्फ सुक्कन पुत्र कैलाश निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-अमित पुत्र सुभाष निवासी तलाबगढी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-जयवीर पुत्र जयपाल निवासी हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

5-सुरेन्द्र पुत्र शीतल निवासी नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।

6-नरेन्द्र पुत्र शीतल निवासी नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।

7-अरविन्द पुत्र शीतल निवासी नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।

8-समीम उर्फ घोडी पुत्र मुन्नन निवासी रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

9-पिंकु उर्फ सुरेश पुत्र दीपचन्द निवासी लोहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।



10-रामवीर पुत्र महीपाल निवासी बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना छपरौली पुलिस टीम । (04 वारंटी)

2-थाना रमाला पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)

4-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)

5- थाना बडौत पुलिस टीम । (02 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 26.08.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/25 धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 आधार कार्ड व 1580 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.25 को छपरौली पर वादी ऋषिपाल पुत्र रामफल निवासी ग्राम बोढा थाना छपरौली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-रुस्तम पुत्र प्रकाशचन्द व 2-सचिन पुत्र सतपाल निवासीगण डूंडूखेडा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा गोगामेंडी मंदिर के महाराज की झोली से 8000 रुपये व अन्य सामान चोरी कर लिया



गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 208/25 धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/25 धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 आधार कार्ड व 1580 रुपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

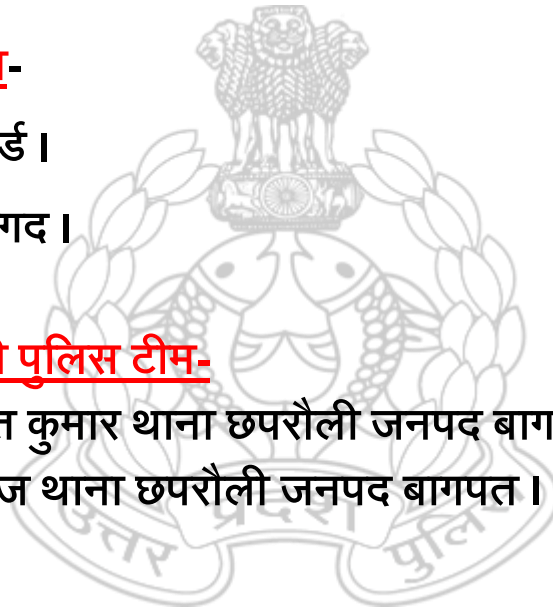
रुस्तम पुत्र प्रकाशचन्द निवासी ग्राम डूँडूखेडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- 01 आधार कार्ड।
- 1580 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक – 26.08.25

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 211/25 धारा
137(2)/87/65(1)/142 बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 बाल
अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 211/25 धारा 137(2)/87/65(1)/142 बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 87/65(1)/142 बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है।

बाल अपचारी का नाम व पता-

01 बाल अपचारी

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 361 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

